February, 2009, agreed without any amendment to the Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2009, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 19th February, 2009."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

———

STATUTORY RESOLUTION

Disapproving the Central Universities Ordinance, 2009 (No. 3 of 2009) and the Central Universities Bill, 2009 – *contd.*

डा. राम प्रकाश (हरियाणा): उपसभापति जी, मैं प्रस्तुत बिल का स्वागत और अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक विश्वविद्यालयों का होना नितांत आवश्यक है। आज भारत में लगभग 315 विश्वविद्यालय हैं, 18 के करीब केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और 120 के करीब deemed universitites के अतिरिक्त 16,000 से अधिक science and engineering college हैं, फिर भी भारत में वैज्ञानिक और इंजीनियर्स की संख्या दस लाख के पीछे लगभग 160 है, जो बहुत कम है। वर्ष 2003 में साइंस और इंजीनियरिंग में भारत में 6,318 लोगों ने Ph. D की, जबकि उसी अवधि में चीन में 12,238 लोगों ने Ph.D की। US में 28,900 South Korea में 3,531 और UK में 9,150 Ph.D पैदा हुए। Engineering में भारत में 780 Ph.D तैयार हुए, जिसके मुकाबले में चीन में 8,054, US में 8,400 Ph.D तैयार हुए। इस तरह हम इस क्षेत्र में निरंतर पीछे हटते गए हैं। यहां तक कि 1995 तक भारत में चीन से अधिक Ph.D तैयार होते थे, लेकिन आज स्थिति उसके विपरीत है। यही हालत research publications की है। 1996 से लेकर 2006 तक जो research paper तैयार हुए हैं, उनकी दृष्टि से दुनिया में भारत 12वें दर्जे पर है और विश्व की कुल publications में भारत का योगदान 2.04 प्रतिशत है, जबकि चीन का 5.61 प्रतिशत है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा universities चाहिए, लेकिन अगर हमने गुणवत्ता को बरकरार करना है तो हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी universities का आज के दिन स्तर क्या है? शंघाई यूनिवर्सिटी ने 2005 में दुनिया की कुछ univeristies की ranking की थी, जिसमें विश्व की पहली 500 universities में भारत की एक भी university का नाम नहीं था। Indian Inistitute of Sciences का स्थान 250-300 के बीच आता है, जबकि IIT खडगपुर और दिल्ली 450-500 के बीच में हैं। विश्व की पहली दस universities में 8 अमेरिका की हैं और 2 UK की हैं। मैं अपनी यह धारणा किसी एक ranking के आधार पर नहीं बनाना चाहता। Times Higher Education ने world universities ranking, जो 2008 में प्रकाशित की, उसमें पहली 200 universities में 154 नम्बर पर IIT दिल्ली, 174 नम्बर पर IIT मुम्बई थी और इसके अतिरिक्त हमारा कहीं कोई existence उसमें नहीं है। दुनिया की पहली 100 universities में अमेरिका की 1/3 हैं, पहली 50 universities में एशिया की 9 universities हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनमें हमारी एक भी university नहीं हैं जबकि हांगकांग की तीन universities उस लिस्ट में आती हैं। अभी एक सर्वे शंघाई यूनिवर्सिटी ने 2008 में किया, 500 universities की ranking की, इसमें भी हिन्दुस्तान की किसी university का कोई नाम नहीं है। 303 से लेकर 401 के बीच में Indian Institute of Science तथा Indian Institute of Technology आता है। Web Metrics Ranking of World Universities, जो अभी हाल ही में जनवरी, 2009 में प्रकाशित हुई है, उसमें पहली 500 universities में IIT मुम्बई 455 नम्बर पर है, जबकि उसमें चीन की 5, ताइवान की 10, हांगकांग की 5 universities हैं। अगर एशिया की 21 universities को देखा जाए, तो हम उसमें भी 19वें नम्बर पर हैं। मेरा कहने को अभिप्राय यह

है कि हम इस क्षेत्र में निरंतर पिछड़ रहे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि हिन्दुस्तान में प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसका कारण यह है कि हमें अध्यापकों का चयन करते वक्त जिस मापदंड का इस्तेमाल करना चाहिए था, हमने वह नहीं किया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक बड़ा मुख्य कारण यह है कि हम शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहते हैं और बाकी विश्वविद्यालयों के अनुकरण के लिए एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज जब मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं, तब मैं बहुत श्रद्धापूर्वक भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का स्मरण करना चाहता हूं। उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा का जो स्तर था, उस पर Challenge of Education के नाम से एक दस्तावेज तैयार किया था, जिसमें निहायत पारदर्शिता थी और मैं समझता हूं कि वैसा दस्तावेज वही व्यक्ति तैयार कर सकता था, जिसका नाम राजीव गांधी था। आज भी दोबारा शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए हमें इस दृष्टि से काम करने की जरूरत है। लड़ाइयां केवल युद्ध के मैदान में नहीं जीती जाती हैं, बल्कि उनको बहुत बड़ा योगदान विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाएं भी देती हैं। इस नाते आपके माध्यम से मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार Lecturers नियुक्त करने लगे, तो इस बात का ध्यान रखे कि उसके अंदर नेट की परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हमने standard को dilute किया, जब हमने यह कहा कि पीएच.डी. और एम.फिल. के लिए यह जरूरी नहीं है, Research Laboratories से भी जो लोग टीचिंग में आएं, उनके लिए भी नेट की परीक्षा पास करना आवश्यक होना चाहिए।

महोदय, हमें इसमें दूसरी बात यह ध्यान देना चाहिए कि आज रिसर्च और टीचिंग में बेहद inbreeding हो रही है। उससे अनुसंधान की नई संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमें इसे भी रोकना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक poor academic carrer का टीचर नियुक्त करना बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से हम सबको बचना चाहिए। टीचर्स के appointment और promotion के संबंध में हमें उनके केवल मात्र उन Journals में छपे हुए शोध पत्रों को गिनना चाहिए, जिनका कुछ तो impact factor हो। आज स्थिति यह है कि विदेश में छपे कैंसर जर्नल क्लीनिकल का impact factor 63.342 है, नेचर का 26.681 है और Chemical Review का 26.054 है। लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं कि हिन्दुस्तान के जिस जर्नल का सबसे ज्यादा impact factor है, उसका highest impact factor 1.224 है। उनका तो impact factor 63 प्वाइंट है और हमारा Indian Journal Medical का highest impact factor 1.224 प्वाइंट है। तमाम हिंदुस्तान में हजारों शोध पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। मैं अपनी बात केवल मात्र साइंस के साथ जोड़कर कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पूरे spectrum को लूं, तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। तमाम हिन्दुस्तान में छपने वाली शोध पत्रिकाओं में से जिनका impact factor 0.5 से ऊपर है या 0.5 है, उनकी संख्या सिर्फ 11 है। हमारे कौन-से Journals हैं, कौन-से शोध पत्र हैं, जिनके आधार पर हम अध्यापकों की नियुक्तियां करते हैं और उनका प्रमोशन करते हैं। मेरे विचार से हमें इस बात को बहुत seriously लेना चाहिए और वे सारे Scientific Journals जिनका impact factor जीरो है, उन्हें बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही हमें इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे Journals को बढ़ावा देना, मैं समझता हूं कि poor quality research को राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त कराना है।

महोदय कोई भी Scientific Award देते समय यह देखा जाना चाहिए कि जो शोध पत्र छपे हैं, उनका impact factor क्या है। साइंस में ग्रुप रिसर्च आवश्यक है, पर एक ही पेपर पर यदि तीन-चार से ज्यादा authors हैं, तो यह तय किया जाना चाहिए कि individual का कितना योगदान है। Merit Promotion Scheme के नाम पर हम वर्षों से जिस स्कीम को चला रहे हैं, उस Merit Promotion Scheme का मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या इससे एजुकेशन का स्तर गिरा है या बढ़ा है?

महोदय, अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मैं मात्र एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। हरेक देश को अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने लिए कोई model तैयार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि हमारे लिए जो उपयुक्त model हो सकता है, वह सिंगापुर का है। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, जिसका कुल रकबा लगभग 700 sq.km. है और जिसकी आबादी सिर्फ 45 लाख है। वहां 120 देशों के 86,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं और जो बच्चा वहां दाखिल हो जाता है, वह अपने आपको सौभाग्यशाली महसूस करता है। उनके अंदर इतना टेलेंट नहीं है कि अच्छे टीचर्स हों। टीचर्स भी हमारे भारतीय हैं, जो विदेश से वहां जाकर पढ़ाते हैं, विद्यार्थी भी हमारे हैं, जो यहां से जाकर वहां पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, जिससे बाहर का टीचर आता है, अपना कोर्स कराता है और कराने के बाद चला जाता है। हमें universities को रोजगार मुहैया करने का एक माध्यम न मानकर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इस तरह का सुधार करना चाहिए, ताकि जो भारतीय बाहर रहते हैं, वहां काम करते हैं, वहां पढ़ाते हैं, वहां रिसर्च करते हैं, वे यहां आएं, कुछ दिन के लिए पढ़ाएं और पढ़ाकर चले जाएं। अगर हमें इसी तरह की universities बनानी हैं, तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचार करके, एक नई पॉलिसी के तहत इस पर खुली बहस करके, जैसे Challenge of Education के माध्यम से राजीव गांधी जी ने खुली बहस का निमंत्रण दिया था, उसी तरह से आज फिर उस तरह की बहस का निमंत्रण देकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहिए, रिसर्च के स्तर को ऊंचा करना चाहिए और जो भारत की उभरती हुई प्रतिभा है, उसको विकसित होने का पूरा मौका देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, I thank you for giving me this opportunity to take part in the discussion. At the outset, I support the Bill, but, at the same time, I would like to emphasise on the amendments circulated in my name. Sir, today, it is a happy occasion for me to see that the Saugar University is included in the list of the 16 universities. I am an ex-student of this University. I obtained my Masters' Degree from that University. I take pride in saying that the University is getting the status of a Central University. However, Sir, what is the goal for higher education? In the year 1948-49, the University Education Commission was there. It was called, the Radhakrishnan Commission. Its goals were defined. I quote, "The most important and urgent reform needed in education is to transform it, to endeavour to relate it to the life, needs and aspirations of the people, and, thereby, make it the powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for realisation of national goals." This was enunciated as the goal for higher education in the University Education Commission, which is called, the Radhakrishnan Commission. The goal is there, but, what is our achievement?

It is mentioned in the Statement of Objects and Reasons of the Bill, "The present level of Gross Enrolment Ratio is 11 per cent." But in the developed countries, the Gross Enrolment Ratio (GER) is more than 54 per cent. In China, our neighbouring country, the GER is 22 per cent. So, where do we stand? Our goal is on the one side and we are proceeding to the other side. The goal of education is, "Education for All", that is, everyone should get education. But we have not been able to achieve this. This is the irony of the system. What is the scenario? About 15 to 20 millions of our young kids are working as child labourers. They have left these institutions, or, they never came to these institutions. They are out of the educational periphery.

Sir, in the Common Minimum Programme of the UPA Government, it was mentioned that six per cent of the GDP would be allocated for education in the Budget. But what has been allocated is far below the target. I think it is about three per cent or like that. So, a provision of six per cent of the GDP could not be made for education.

Sir, previously, education was State subject. But taking advantage of emergency, during that period, it is known to everyone here, it was made as Concurrent subject. That is why education has lost its ground realities. It is not life lias. What is the reality? Those who are living in rural areas, their conditions, what their necessities are, find no place in the syllabi. These things are not at all mentioned there.

Sir, now, I come to the points where I would like to propose some amendments. In clauses 21 (2) and 22 (2) which relate to Executive Council and Academic Council respectively, what is the formation? It is stated in the Bill that members will be from among the elected members of the Court of University. That does not suffice, Sir. There are various categories of members in the Court of University. If you take them into the Academic Council and the Executive Council, representation may not be there from all categories. That is why I have moved this amendment. Specifically, it should be mentioned that they would be selected from among the teachers, employees and students. None of them should be left out of this. So, this is one lacuna which should be rectified.

Sir, I think, there is some hesitation in extending the democratic right of education to the students. There is still hesitation. That is why this has been by-passed. Our children who are receiving higher education, who have attained the age of 18, or even beyond 18, are the citizens of this country. They are able enough to serve, or, to take up jobs. They are also able enough to take up the responsibility of their families. They can do everything. But when it comes to taking them into the management of the University, we just hesitate to give them this responsibility. This is the wrong mindset and we should get out of it.

Sir, in clause 28, I register my strong opposition to the words "other agencies". This gives an opportunity to the business class or to some MNCs and other organisations for making backdoor entry into the system. That is why the words "other agencies" have been mentioned here, and I strongly oppose this. I demand that this should be deleted. Sir, in this connection, I may quote what the Standing Committee had said in this regard. The Standing Committee also put their reservation there. Sir, I quote, "The Committee reiterates that the words "other agencies" leave ample scope for associating with agencies which might be private commercial and detrimental to academic standards. Necessary safeguards may be taken to ensure qualitative aspects of higher education." This warning has been given by the Standing Committee, and proper safeguards were needed to be taken here. But I see no safeguards here, and, therefore, I demand that this should be deleted.

Sir, now I come to clause 32. It is one thing that the hon. Minister has brought this Bill. But how can the autonomy of the university be preserved? We are creating universities. There are eminent persons on the Board, in the Academic Council. They are efficient enough to shoulder their

responsibilities. Sir, why has such a clause been brought? Sir, it has been brought to overpower that university; it has been brought to interfere in the working of that university. ...*(Time-bell)*...

Sir, I will take only three minutes more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. Please conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: Why should we interfere in the affairs of a university? So, I think, this is an instrument to interfere in the matters of the university. So, I demand that this clause should be removed from this Bill.

Sir, the Standing Committee has also given their strong reservation in this regard. At the end of the recommendation, it has been said, "With such a power, the autonomy of a University is bound to be adversely affected. In the absence of valid justifications for having such a provision, the Committee recommends deletion of Clause 32(1) of the Bill."

The Standing Committee has already sought the deletion of this clause. But even then it has found a place here. So, I put my strong objection in this regard and I demand that the recommendation of the Standing Committee should be accepted, and this clause should be deleted.

Sir, in Clause No. 6, sub-clause 2 (VII), I have seen that the process of accreditation has found place there. Sir, many a time, the process of accreditation takes place without transparency, and this process is mired with corruption. It has been found in many places, and many times it has also come in the newspapers in this regard from time to time. Some extra academic concerns rise in the way to stall some of the activities of the universities. By repeated accreditation, by persiste accreditation, what you are doing is that you are putting a bar to the progress of the university so that they have to halt here and there. Whenever they try to do something, items such as accreditation are put to them.

'Do this. Maintain this. Fulfil this condition. I shall send it for enquiry. I shall get it done whether it is correct or not. If this is allowed to continue, there would be problems in the functioning of the university. So, I would like to hear from the hon. Minister, how she intends to protect the university from all this. ...*(Time-bell)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have explained all your amendments.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, the right to admission is being taken away from common people. By taking recourse to privatisation, the education process is being put out of reach of the common people. You are minimising the opportunities for people at large. Sir, what do we see? Education has become a commodity. If one has money, he can get a Medical seat. Even if one's name is not in the Joint Entrance list, he would pay money to some private institution and get an Engineering seat. How can this be prevented?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sarkar, you have taken the maximum time. There are a number of Members yet to speak.

7.00 P.M.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, the question is of quality. We are talking of excellence. I listened to what hon. Member, Shri Apte, spoke. Quality comes from quantity. If you can expand the field of education, you can make education available to people at large, quality would come from them. When heat accumulates, water vaporises; the boiling point is reached. So, it is the general principle that quantitative change leads to qualitative change.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have taken double the time allotted to your party, Mr. Sarkar. Please conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I am concluding.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. This cannot go on like this. Please conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: In the name of quality and excellence, the downtrodden people are being deprived from education. Please take all these points into consideration.

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, यह बिल जिस मकसद से लाया गया है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों में केन्द्रीय विश्व विद्यालय नहीं हैं, उन राज्यों में केन्द्रीय विश्व विद्यालयों की स्थापना करनी है और करीब तीन विश्व विद्यालय ऐसे हैं, जिनका उच्चीकरण किया गया है। यह तो ठीक है। मगर मेरी समझ में दो बातें नहीं आती हैं। एक तो यह है कि जब यह सत्र खत्म होने को है, आखिरी वक्त में यह बिल लाया गया है। ...**(व्यवधान)**... दूसरी बात इसमें यह है कि जो इसके प्रावधान हैं, उन प्रावधानों की काफी जल्दबाजी में ड्रॉफ्टिंग हुई है। यह बात सही है कि स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर काफी गंभीर चर्चा की और जो एनोमलीज थीं, उनको सुधारने की कोशिश की है। फिर भी बहुत सी बातें इसमें रह गई हैं। इस विधेयक को लाने का जो कारण बताया गया है, वह यह है कि जो ग्रोस इनरॉलमेंट रेश्यो है, वह हमारा 11 प्रतिशत है। जो विकसित देश हैं, उनका 54 प्रतिशत है, दूसरे जो ट्रांजिशन कंट्रीज हैं वहां पर 34 प्रतिशत है और चीन में 22 प्रतिशत है।

मान्यवर, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि शुरू से जो हमारे देश के शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षाविद थे, वे पहले यह तर्क देते थे कि अगर शिक्षा में गुणवत्ता लानी है, तो सीमित दाखिला करना पड़ेगा। जो टेलेंटिड हैं, तो योग्य छात्र हैं, केवल उन्हीं को दाखिला दिया जाए, तभी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। हम लोग इस बात को नहीं मानते थे।

हमारे पुरखे भी नहीं मानते थे, हमारे नेता भी नहीं मानते थे, हम लोगों का यह विश्वास था और हम लोग नारा भी लगाते थे कि 'सस्ती खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा'। आज हम यह महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रोस इंरोल्मेंट रेश्यो है, वह निरंतर दूसरे देशों के मुकाबले कम होता जा रहा है। यह ठीक ही कहा है कि यह गुणवत्ता आएगी, कहां से? जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था है, वह elitis हो जाए, जो सम्पन्न सम्प्रभु वर्ग हैं, अगर उन्हीं के लिए शिक्षा हो जाए, सीमित दाखिला हो जाए, सीटें तय हो जाएं, तो जो गुणवत्ता है, वह एक सीमित दायरे में आएगी। परन्तु हमारी जनसंख्या का बड़ा भूभाग है और ऐसे तमाम होनहार, नवयुवक और विद्यार्थी हैं, जिनका टेलेंट, जिनकी बुद्धि, जिनकी योग्यता इस नाते निखर नहीं पाती हैं क्योंकि उनको न तो पर्याप्त मौका मिलता है, न परिवेश मिलता है और न संसाधन मिलते हैं।

दूसरी बात यह है कि उच्च शिक्षा के बारे में हमारी जो दृष्टि है, उसके बारे में भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमने विश्वविद्यालयों की स्थापना तो कर दी, परन्तु उन विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है? आप नए विश्वविद्यालय बना देंगे, लेकिन उन नए विश्वविद्यालयों में संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। अभी आप तय ही नहीं कर पाए हैं कि आपको खर्च कितना करना है। कोठारी कमीशन की यह सिफारिश थी कि पूरी जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगा। आज तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उच्च शिक्षा के मामले में तो हम और कम पैसा खर्च रहे हैं। अगर हम कम पैसा खर्च करेंगे, तो न बिल्डिंग बन पाएगी, न ही क्लास रूम बन पाएंगे। जो प्रयोगशालाएं हैं, वे भी सुसज्जित नहीं हो पाएंगे। जो पुस्तकालय हैं, उनमें भी पर्याप्त पुस्तकों का अभाव होगा। अगर हमारी लाइब्रेरी ठीक नहीं है, अगर हमारी लेबोरेटरी ठीक नहीं है, अगर हमारे क्लास रूम अच्छे नहीं हैं, अगर हम विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाएं नहीं देते, उनको अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं कराते, तो केवल नाम के विश्वविद्यालय बनाने से कोई उपयोगिता, कोई सार्थकता साबित नहीं होती। जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। जो डिग्री कॉलेज हैं, उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। आज तमाम निजी विश्वविद्यालय खुलते जा रहे हैं, उनमें विद्यार्थियों को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे उनको नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए आपकी गुणवत्ता कहां से आएगी? आप यह कहते हैं कि हम विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थान बनाना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि हम ऐसे विश्वविद्यालय बनाएं, जो मौलिक सोसाइटी की संस्थापना करें और हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ जाएं। परन्तु नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए जो परिवेश है, जो वातावरण है, जो सुविधाएं हैं, उनको भी मुहैया कराने की आवश्यकता है। श्रीमन् मेरा कहना यह है कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति तो है ही, परन्तु जिस तरीके से उसका संचालन होता है, उस पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। बनारस विश्वविद्यालय के लिए 1964 के बाद ऑर्डिनेंस लाया गया, लेकिन आज तक वह आर्डिनेंस खत्म नहीं हुआ, कोई एक्ट नहीं बना। उसका यह नतीजा हुआ कि जो काशी विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय है, जिसकी अपनी ख्याति है और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित किया गया है, आज उस विश्वविद्यालय की कितनी दुर्गति हो रही है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पर न तो छात्र संघ है, न वहां पर्याप्त रूप से पढ़ाई है, न वहां किसी प्रकार का अच्छा शोध हो रहा है। वहां की व्यवस्था भी बहुत ही दूषित है। अभी सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है कि बनारस में भी आई.आई.टी. बनाया जाएगा। वहां पर आई.आई.टी. है। जो शर्तें हैं, ये सभी शर्तें पूरी भी की गई हैं, परन्तु अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। मैं यह मांग भी करता हूं कि सरकार को इस संबंध में अपनी घोषणा करनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि आज जिस प्रकार विश्वविद्यालयों के निजीकरण की बात कही जाती है....। यह कहा जाता है, जैसे नॉलेज कमीशन ने कहा कि मुझे पंद्रह सौ विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, पांच हजार महाविद्यालयों की आवश्यकता है, सरकार हमेशा अपने संसाधनों का रोना रोती है, एक तस्वीर यह पेश की जाती है कि अगर शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए, नए लोगों को जनता की तरफ से इन्वेस्टमेंट करने की छूट दे दी जाए, तो शायद, यह जो लक्ष्य है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम इसे उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि यदि आप निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देंगे, अगर दुनिया के दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों की शाखाएं अपने देश में खुलने की इजाजत दी जाएगी, तो उससे हमारा जो एक लक्ष्य है - क्योंकि बाहर के विश्वविद्यालय यहां जो करते हैं, वे ज्ञान नहीं देते, शिक्षा नहीं देते, वे केवल डिग्री देते हैं और उस डिग्री के जरिए हमसे पैसा ऐंठते हैं। हमारे देश में यहां जो सम्पन्न वर्ग के लोग हैं, वे पैसे के बल पर उन विद्यालयों में दाखिला लेकर डिग्री हासिल कर लेते हैं। यदि हम अपने यहां के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और यहां की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहते हैं, तो हमें ये संसाधन यहीं पर उपलब्ध कराने होंगे। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो निवेश है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो सार्वजनिक या पब्लिक

इन्वेस्टमेंट है, सरकार की तरफ से जो निवेश है, उसे दुगुना करना पड़ेगा। मान्यवर, जो विधेयक है, यह ठीक है कि इस विधयेक में सरकारी नियंत्रण को कम करने की कोशिश की गई है, परंतु इस विधेयक में सबसे बड़े आश्यर्च की बात यह है कि इसमें विद्यार्थी परिषद की बात तो कही गई, लेकिन विद्यार्थी परिषद का जो कांस्टीट्यूशन है, उसकी जो संरचना है, वह ऐसी संरचना है कि उसमें विद्यार्थी समूह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। हम लोग यह शुरू से मानते रहे हैं और आज भी कि जब तक यहां विद्यार्थी छात्र संघों की स्थापना नहीं होगी, छात्र संघ स्थापित नहीं होंगे, विद्यार्थियों को अपना संघ, अपना संगठन, बनाने की छूट नहीं होगी, तब तक हम विश्वविद्यालय के अंदर कैसे एक स्वस्थ और शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। उसमें केवल यह कोशिश की गई कि केवल बीस विद्यार्थी, विश्वविद्यालय की जो कौंसिल होगी, उस कौंसिल में जो दूसरे लोगों का जो प्रतिनिधित्व होता है, उसमें विद्यार्थियों का भी प्रतिनिधित्व हो जाए, यह ठीक बात है, परंतु मैं चाहता हूं कि छात्र संघ की स्थापना अलग से होनी चाहिए और छात्रों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अनिवार्य सदस्यता के आधार पर अपना चुनाव कराएं, लोकतांत्रिक तरीके से अपना चुनाव कराएं। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी, तो जो हम कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन, स्वायत्तता, लोकतंत्रीकरण और उसी के साथ ही साथ जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही जाती है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि यह जो सुझाव है, उस सुझाव को भी इस विधेयक में शामिल किया जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

———

MESSAGES FROM LOK SABHA

The Metro Railways (Amendment) Bill, 2009

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from Lok Sabha, signed by the Secretary-General of Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Metro Railways (Amendment) Bill, 2009, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 24th February, 2009."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

STATUTORY RESOLUTION

Disapproving the Central Universities Ordinance, 2009 (No.3 of 2009) and the Central Universities Bill, 2009 *Contd*

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, let me begin by complimenting the hon. Minister and the Department for fulfilling two important objectives. One key objective, is the Prime Minister's vision, the vision contained in the UPA Government's programmes, is of substantially improving access and quality higher education. To the extent that this proposed Bill begins to try and endeavour to fill these important gap in our education policy, they need to be complimented. But, let me also add the second compliment to the Ministry that out of the 15 important recommendations made by the Standing Committee on HRD, of which I have the privilege of being a Member under the distinct leadership and chairmanship of Shri Janardan Dwivedi, who